Note for Pad

Deaths in Police Custody in Haryana Since 2015

Since 2015, 33 instances of death in police custody have been reported. Criminal cases were registered in 28 instances. In remaining five instances, inquest under 174/176 Cr.PC were conducted.

On investigation, 10 cases were found untrue and hence were cancelled. Ten cases having evidence were put to court. Three cases were sent untraced. Five cases are under investigation. In one case, accused officials were acquitted by the trial court on being found innocent. In one under-trial case of 2016 of Faridabad, the National Human Right Commission (NHRC) ordered compensation of Rs. 5 lakh to be paid from the salary of the accused police officials.

In 2023, so far three instances of death in police custody have been reported - one each in Faridabad, Sirsa and Narnaul. In Faridabad, one Siakul Khan s/o Islam r/o Village Tikri, District Alwar wanted in FIR 29 dated 13.7.23 u/s 419, 420 IPC, Cyber Police Station, NIT FBD allegedly died in police custody. FIR 258 dated 24.7.23 u/s 302, 34 IPC PS Old Faridabad was registered. For the fair investigation, the case has been transferred to State Crime Branch and it is being investigated by a DSP-ranking officer.

Deaths that occur in police custody are subject to a standardized set of procedures to ensure transparency, accountability and justice. The Standard Operating Procedure (SOP) for handling such cases involves multiple stages of investigation and oversight.

Upon the reporting of the death in police custody, the local police station initiates investigation into the circumstances. Simultaneously, a post-mortem examination is conducted under videography by a board of medical officers to ascertain the cause of death. A Magisterial inquiry by a Judicial Magistrate is also conducted to determine any potential foul play.

A comprehensive report containing post-mortem report along with CD of inquest proceedings is sent to both the National Human Rights Commission (NHRC) and the State Human Rights Commissions (SHRCs). They have the authority to investigate and recommend actions against erring officials.

The police department also conducts an inquiry to identify any violations of standard operating procedures or misconduct by police officials involved.

Legal proceedings depend on the outcome of investigation. Compensation may be provided to the victim's family if negligence or misconduct is established.

In every instance of death in police custody reported in the period, due process of law was followed and the government took evidence-based action against the police officials found guilty.

To prevent such incidents, the police department is putting emphasis on transparency in investigation of reported cases of deaths in police custody. Demonstrating zero tolerance for misconduct, disciplinary action is being taken by officials linked to any form of custodial mismanagement or mistreatment. Understanding the importance of proper detainee management, police training academies have revamped their training protocols. Police officials are being educated about the rights of detainees and the legal boundaries of custodial interrogations. To further transparency and deter potential misconduct, CCTV cameras have been installed in all police stations, ensuring continuous recording of actions happening in police stations. Police is engaging the community to bridge the gap between the public and the police and build a platform for dialogue and feedback.

While any custodial death is a grim reminder of the challenges that lie in policing, the actions of the Haryana police since 2015 reflect a commitment to learn, reform and improve. Government's efforts signal a clear intention to maintain public trust and uphold rule of law with the utmost integrity and responsibility.

<u>नोट फॉर पैड</u>

2015 उपरांत पुलिस हिरासत में मौतें

वर्ष 2015 से 31 जुलाई 2023 की अवधि में पुलिस हिरासत में मृत्यु के 33 मामले रिपोर्ट हुए। इनमें से 28 में आपराधिक अभियोग दर्ज किए गए। 05 मामलों में 174/176 Cr.PC के तहत कार्रवाई की गई।

अनुसंधान उपरांत 10 आपराधिक मामले निराधार पाए गए और उनको निरस्त कर दिया गया। दस मामलों में साक्ष्य मिला और ट्रायल के लिए उन सभी को न्यायालय में समायत किया गया। तीन मामलों मे पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदमपता रिपोर्ट अंकित की गई। पांच मामले अनुसंधानाधीन हैं। एक मामले में आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। फ़रीदाबाद के एक 2016 के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुनः अनुसंधान किया जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतक को आरोपी पुलिस कर्मियों के वेतन से पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2023 में पुलिस हिरासत में मृत्यु के तीन मामले रिपोर्ट हुए हैं – एक सिरसा, एक फरीदाबाद और एक नारनौल में। अलवर के शैकुल खान को ठगी के एक मामले में NIT साइबर थाना फरीदाबाद ने जुलाई के महीने में गिरफ़्तार किया था। उसकी मृत्यु उपरांत FIR No. 258 dated 24.7.23 u/s 302, 34 IPC थाना ओल्ड फरीदाबाद में दर्ज की गई। जाँच निष्पक्ष हो इसलिए मुकदमे को राज्य अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया है तथा डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा है।

पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें पर पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मानकीकृत सेट के प्रक्रियाएँ पालन की जाती हैं। ऐसे मामलों की संचालन प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया चरण कई के निगरानी और अन्वेषण जिसमें है होती शामिल (एसओपी) हैं। होते शामिल

सर्वप्रथम, पुलिस स्वयं जाँच करती है कि किन हालात में ये मृत्यु हुई है। साथ-साथ सरकारी डॉक्टरों का एक बोर्ड मृत्यु का कारण जानने लिए पोस्ट-मॉर्टम करता है जिसकी वीडियोग्राफ़ी की जाती है। त्रुटि पता करने के लिए अलग से मजिस्ट्रेट द्वारा एक न्यायिक जाँच भी की जाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को पोस्ट-मॉर्टम की वीडियोग्राफ़ी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट के साथ सौंपी जाती है। इन आयोगों को स्वयं जाँच करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा का अधिकार है।

पुलिस विभाग द्वारा भी विभागीय जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि SOP के तहत कार्रवाई हुई कि नहीं और मृत्यु में किसी पुलिस कर्मी की भूमिका तो नहीं है।

कानूनी कार्रवाई, अनुसंधान के परिणाम पर निर्भर करती है। दोष साबित होने पर मृतक के परिवार को अनुदान राशि भी दी जा सकती है।

इस अवधि में रिपोर्ट किए गए पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के प्रत्येक मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध साक्ष्य-आधारित कार्रवाई की गई है।

इस तरह को घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस विभाग अनुसंधान में पारदर्शिता पर ज़ोर दे रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए हिरासत कुप्रबंधन एवं प्रताड़ना के मामले में दोषी पाए जा रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। हिरासत प्रबंधन के महत्व को समझते हुए पुलिस अकादमी ने अपने ट्रेनिंग के स्तर में सुधार किया है। पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार और पूछताछ की सीमाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं और वहाँ हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए लोगों से खाई पाटने और उनसे संवाद स्थापित करने एवं फीडबैक लेने का काम चल रहा है।

हिरासत में मृत्यु पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती है लेकिन हरियाणा पुलिस ने 2015 उपरांत हुए प्रत्येक ऐसी घटनाओं से सीखा है और अपने कार्य प्रणाली को बेहतर किया है। ये प्रयास सरकार के लोगों का विश्वास बहाल रखने रखने और कानून-आधारित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संकल्प का परिचायक है।